जिला स्वास्थ्य समिति, कानपुर नगर की बैठक की कार्यवृत्त

आज दिनांक 31.05.2013 को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक जिला अधिकारी, कानपुर नगर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुयी। जिसमें निम्न सदस्यों ने भाग लियाः–

1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
2. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षिका, ए0एच0एम एण्ड डफरिन चिकि0।
3. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मा0 कांशीराम संयुक्त, चिकित्सालय।
4. अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आर.सी.एच, स्टोर, यू0आई0पी0, वेक्टरवार्न, आई0डी0एस0पी0 कानपुर नगर।
5. जिला पंचायत राज अधिकारी।
6. जिला कार्यक्रम अधिकारी(आई0सी0डी0एस0)।
7. वरिष्ठ परामर्शदाता, यू0एच0एम0 चिकि0।
8. प्रतिनिधि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, के0पी0एम0 चिकि0।
9. प्रतिनिधि आई0एम0ए0 अध्यक्ष।
10. प्रतिनिधि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
11. जिला क्षय रोग अधिकारी।
12. जिला कुष्ठ अधिकारी।
13. जिला मलेरिया अधिकारी।
14. एस0एम0ओ0, डब्लू0एच0ओ0,
15. डी0एम0सी0, यूनीसेफ।
16. समस्त उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
17. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक डी0पी0एम0यू0, एन0आर0एच0एम0।
18. प्रतिनिधि, अवार्ड यू0एच0आई0 संस्था।
19. समस्त अधीक्षक/प्र0चि0अ0 सामु0/प्रा0स्वा0के0।

बैठक की कार्यवृत्त निम्नवत है –

1. एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत संचालित जननी सुरक्षा योजना की समीक्षा की गई जिसमें सामु0स्वा0के0 बिधनू, शिवराजपुर, जिला महिला चिकित्सालय में पिछले वर्ष माह अप्रैल 2012–13 की तुलना में वर्ष 2013–14 की माह अप्रैल में हुये संस्थागत प्रसव की उपलब्धि कम पाई गई। जिसमें अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्देश दिये कि संस्थागत प्रसव को बढ़ाया जायें।

   कार्यवाही– अधीक्षक, सामु0स्वा0के0/प्र0चि0अ0, ए0एच0एम0 चिकि0

2. वर्ष 2013–14 में मान्यता प्रदान किये गये 128 उपकेन्द्रों में जिन उपकेन्द्रो में प्रसव नहीं हो रहे है। उन उपकेन्द्र की सूची जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाये एवं इस बात की पुष्टि चिकित्सा अधीक्षक के माध्यम से करवाई जाये कि सामान्य प्रसव हेतु उपकेन्द पर सभी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध है अथवा नही?

   कार्यवाही– अधीक्षक, सामु0स्वा0के0/प्र0चि0अ0,

3. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की रिपोर्ट में जिला महिला चिकित्सालय तथा मेडिकल कालेज में दिये गये निःशुल्क भोजन की सुविधा की रिपोर्ट भी अंकित की जाये तथा ड्राप बैक की सुविधा 100 प्रतिशत किये जाने के प्रयास किये जाये, जिला महिला चिकित्सालय में उपलब्ध उ0प्र0 एम्बूलेन्स सेवा से भी ड्राप बैक की संख्या बढवाई जाये। चिकित्सालय में आने वाले सभी लाभार्थियो को प्रसव के उपरान्त 48 घण्टे रोकने के प्रयास किये जाये। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता पर जोर दिया जाये। निःशुल्क भोजना में विशेषतर दूध और फल अवश्य दिये जाये।

कार्यवाही– अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी(आर.सी.एच.)/ प्र0चि0अ0, ए0एच0एम0 चिकि0

4. एस0पी0एम0यू0/मातृ स्वास्थ्य/जे0एस0वाई0/8–6/2013–14/552–75 दि0 10.05.2013 के क्रम में जननी सुरक्षा कार्यक्रम हेतु रू0 180.99 लाख धनराशि आवंटित की गई है। जिसको नियमानुसार व्यय करने का प्रस्ताव जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

जिसको जिला स्वास्थ्य समिति से सर्वसम्मति से दिशा निर्देशानुसार वित्तीय नियमावली के तहत वास्तविक व्यय के आधार पर खर्च करने की अनुमति प्रदान की गई।

कार्यवाही– अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी(आर.सी.एच.)

5. प्रमुख सचिव, चिकि0स्वा0 एवं प0क0, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र सं0 चिकि0 अनुभाग–9/1677 दि0 20.05.2013 के क्रम में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आशाओ के मानदेय के भुगतान हेतु नवीन आदेश प्राप्त हुये है। इसके अन्तर्गत आशाओं को रू0 300 का भुगतान गर्भवती के पूर्ण टीकाकरण, आयरन फोलिक एसिड गोलियो के वितरण एवं मातृत्व सुरक्षा कार्ड पर एम0सी0टी0एस0 के नम्बर के अंकन के उपरान्त ही व्यय होगा। षेश रू0 300/– संस्थागत प्रसव हेतु प्रसव के समय देय होगें। यह योजना जुलाई–2013 से लागू है। उक्त पत्र जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष सूचनार्थ हेतु प्रस्तुत किया गया।

जिसको जिला स्वास्थ्य समिति से सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।

कार्यवाही– अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी(आर.सी.एच.)

6. जनपद में नगरीय क्षेत्र में परिवार कल्याण कार्यक्रम के विस्तार हेतु वर्श 2012–13 में सं0 14 निजी चिकित्सालयो को परिवार कल्याण सेवाओ हेतु सम्बद्ध किया गया था। इसकी सूची साथ में संलग्न है। वर्ष 2013–14 में इनके सम्बद्धीकरण का नवीनीकरण किया जाने का प्रस्ताव अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि नर्सिंग होमो का नवीनीकरण इस शर्त में किया जाये कि परिवार कल्याण की सेवाओ को न प्रदान करने पर छः माह बाद उनका अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा। तथा नगरीय क्षेत्र में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत यू0एच0आई0 संस्था से सहयोग लिया जाये।

कार्यवाही– अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी(आर.सी.एच.)

7. मातृ मृत्यु आडिट समीक्षा करने के उपरान्त अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मातृ मृत्यू की रिपोर्ट समस्त ब्लाक से नियमित रूप से जिला मुख्यालय में प्रेषित की जाये तथां दर्शायी गई मृत्यु की आडिट कराया जाये। आडिट न कराने की दशा में जॉच के पश्चात उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये।

कार्यवाही– नोडल अधिकारी(मातृ मृत्यु आडिट)

8. आशीर्वाद बाल स्वास्थ्य गारन्टी योजना में अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जिला कार्यक्रम अधिकारी(आई0सी0डी0एस0) द्वारा ऑगनवाड़ी केन्द्रो का नियमित भ्रमण किया जाये जिससे कि आशीर्वाद बाल स्वास्थ्य गारन्टी योजना के अन्तर्गत मेडिकल टीम के भ्रमण के दौरान ऑगनवाड़ी केन्द्रो पर अधिक से अधिक बच्चो का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके।

कार्यवाही– अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (बी0एस0जी0वाई0)/
जिला कार्यक्रम अधिकारी(आई0सी0डी0एस0)

9. कानपुर नगर के नगरीय जिला स्तरीय चिकित्सालयों मे साफ सफाई आदि की व्यवस्था कराने हेतु दि0 08.04.2013 को जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित निविदा समिति के समक्ष आमंत्रित निविदाये खोली गई थी। निविदा समिति ने मेसर्स डीलक्स सिक्योरिटी सर्विसेस की निविदा की दर न्यूनतम होने के आधार पर चयनित कर लिया है। जिला स्वास्थ्य समिति को अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत किया गया।

जिसको जिला स्वास्थ्य समिति से सर्वसम्मति से दिशा निर्देशानुसार वित्तीय नियमावली के तहत अनुमति प्रदान की गई।

कार्यवाही– अपर मुख्य चिकित्सा अधिकरी(आर.सी.एच.)

10. जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक बैठक में मेडिकल कालेज तथा जिला पुरूष चिकित्सालय यू0एच0एम0 के किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग न करने पर असंतोष व्यक्त किया गया। प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज को लिखित रूप से आमंत्रित करने व यू0एच0एम0 अधीक्षक से स्पष्टीकरण मॉगने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही– अपर मुख्य चिकित्सा अधिकरी(आर.सी.एच.)/
प्र0चि0अ0/यू0एच0एम चिकि0

11. आशाओ की मासिक बैठक की समीक्षा की गई जिसमें निर्देशित किया गया कि समस्त आशाओ का बैठक में भाग लेना अनिवार्य है तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 का ब्लाकवार आशा भुगतान की सूची तथा ब्लाक वार निष्क्रिय आशाओ की सूची जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये। इस सूची को बनाने में आशा भुगतान पंजिका की मदद ली जाये।

कार्यवाही– अपर मुख्य चिकित्सा अधिकरी(आर.सी.एच.)
अधीक्षक, सामु0स्वा0के0/डी0सी0एम0

12. ब्लाक स्तरीय रोगी कल्याण समिति का प्रस्तावो को प्रतिमाह बनवाया जाये जिससे कि बजट प्राप्त होने की दशा में प्रस्तावो के अनुसार व्यय किया जा सके।

कार्यवाही– अपर मुख्य चिकित्सा अधिकरी(आर.सी.एच.)/ अधीक्षक, सामु0स्वा0के0

13. अनटाइड ग्रान्ट उपकेन्द्र को व्यय करने हेतु अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में सभी ए0एन0एम0 का प्रशिक्षित किया जाये तथा अनटाइड एवं ए0एम0जी0 के बजट से आवश्यकतानुसार बी0पी0 उपकरण तथा वेंईग मशीन क्रय की जाये। इससे भोजन पूर्व हाथ धोने व स्तनपान को प्रोत्साहन देने वाली वाल पेन्टिंग करवाई जाये। समस्त बजट के खर्चो के रख रखाव हेतु ब्लाक प्रोग्राम मैनेजर को जिम्मेदार बनाया जाये जाये तथा उनके नियमित रूप से जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में भाग लेने हेतु निर्देशित किया जाये।

कार्यवाही– अपर मुख्य चिकित्सा अधिकरी(आर.सी.एच.)/ अधीक्षक, सामु0स्वा0के0

14. ई0 मिशन टीम के अन्तर्गत एम0सी0टी0एस0 फीडिंग की समीक्षा की गई जिसमें बिल्हौर, घाटमपुर, पतारा एवं ककवन की स्थिति असंतोषजनक पाई गई। जिसमें अध्यक्षा जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि 15 दिन के अन्दर फीडिंग शतप्रतिशत करा ली जाये तथा एम0सी0टी0एस0 फीडिंग की साप्ताहिक समीक्षा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा नियमित रूप से किया जाये।

कार्यवाही– अपर मुख्य चिकित्सा अधिकरी(यू0आई0पी0.)/डी0पी0एम0

15. नियमित टीकाकरण की समीक्षा की गई जिसमें अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति ने निर्देशित किया गया कि आगामी माह की बैठक में मासिक लक्ष्य को भी दर्शाया जाये।

कार्यवाही– अपर मुख्य चिकित्सा अधिकरी(यू0आई0पी0.)

16. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 अ0नि0/यू0आई0पी0/कैम्प/87–75 दि0 02 अप्रैल–2013 के क्रम में दि0 07.04.2013 से पल्स पोलियो कार्यक्रम चलाये जाने हेतु रू0 4809703.00 आवंटित किया गया है। जिसका नियमानुसार व्यय किया जा चुका है।

जिसको जिला स्वास्थ्य समिति से सर्वसम्मति से दिशा निर्देशानुसार वित्तीय नियमावली के तहत वास्तविक व्यय के आधार पर खर्च करने की अनुमति प्रदान की गई।

कार्यवाही– अपर मुख्य चिकित्सा अधिकरी(यू0आई0पी0.)

17. राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा की गई जिसमें अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी दृष्टि दोषित बच्चो को चश्मा वितरित किया जाये।

कार्यवाही– जिला कार्यक्रम अधिकारी(नेत्र)

18. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 30फ/आ0से0/2013–14/दिशा निर्देश/37 दि0 22 अप्रैल–2013 के कम में राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यकम के अन्तर्गत चिन्हित दृष्टिबाधित बच्चो को चश्मा वितरण किये जाने हेतु तथा सरकारी क्षेत्र में मोतियाबिन्द आपरेशन हेतु औषधि एवं आई0ओ0एल0 कय किये जाने हेतु टेण्डर प्रकिया प्रारम्भ की जानी है। उक्त प्रस्ताव जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

जिसको जिला स्वास्थ्य समिति से सर्वसम्मति से दिशा निर्देशानुसार वित्तीय नियमावली के तहत अनुमति प्रदान की गई।

कार्यवाही– जिला कार्यकम अधिकारी(नेत्र)

19. पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्देशित किया गया कि जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष मासिक रिपोर्ट अवश्य दर्शाई जाये।

कार्यवाही– जिला क्षय रोग अधिकारी

20. राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यकम के अन्तर्गत मासिक रिपोर्टो पर संतोष व्यक्त किया गया।

कार्यवाही– जिला कुष्ठ अधिकारी

21. राष्ट्रीय वैक्टरबोर्न कार्यकम के अन्तर्गत अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि बरसात की सीजन आरम्भ हो गया है। जिसमें समस्त क्षेत्रों में कीटनाशक छिड़काव कराया जाये।

कार्यवाही– जिला मलेरिया अधिकारी

अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी(आर.सी.एच.)
कानपुर नगर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
कानपुर नगर

अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति
(जिला अधिकारी)
कानपुर नगर ।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर

पत्रांकः–मु0चि0अ0 / कार्यवृत्त / 2012–13 / 705-9 दि0 01.06.2013

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेंषित।

1. मिशन निदेशक, एन0आर0एच0एम0, 19 ए विशाल काम्पलेक्स, विधान सभा मार्ग, उ0प्र0 लखनऊ।
2. महाप्रबन्धक(नियोजन), 19 ए विशाल काम्पलेक्स, विधान सभा मार्ग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर / उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आर.सी.एच, स्टोर, यू0आई0पी0, वेक्टरवार्न, आई0डी0एस0पी0 कानपुर नगर, जिला क्षय रोग अधिकारी, जिला कुष्ठ अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक(नेत्र) एवं जिला मलेरिया अधिकारी, कानपुर नगर।
4. समस्त जिला स्वास्थ्य समिति के सदस्य।

1/6/13

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
कानपुर नगर।

Date.....
Page.....

क्रम संख्या	उपस्थित अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	पद	स्थान	मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	श्री समीर वर्मा	जिलाधिकारी	कानपुर		
2.	डा० आर० पी० यादव	सी० एम० ओ०	"		
3.	डा० राजेश कटियार	ए० सी० एम० ओ०	"		
4	~~Dr. अच्छे लाल~~	SIC Ahmadganj	"	9369114100	
5	डॉ० सुभाष चन्द्र शुक्ला	ACMO	"	9415461246	
6	डा० जी० के० मिश्रा	ACMO/DTO	"	9984677285	
7	डा० ए० के० सिंह	उप० मु० अ०	कानपुर	9369201011	
8	ASHOK KUMAR GUPTA	DPM	"	9369336447	
9	[illegible]	DPM	"	9415772650	
10	Rajesh Agrawal	DDAA	"	9839802277	
11.	नरेन्द्र सिंह पंवार	मा० शिक्षाधिकारी	प्रतिनिधि	BSA 7607124057	
12.	डा० अनु सिंह गहलौत	M.S.	कानपुर	9839034303	
13	डा० जफर इयाल	के० पी० एम अस्पताल कानपुर		9839112140	
14	डा० अजय मौर्य	M.S मीतगंज		9450727598	
15	डा० कुलदीप सिंह तोमर	M S	घाटमपुर	9450158937	
16	Dr. YASHOVARDHAN	M S	Chaubepur	9410079138	
17	ज्योति शर्मा	जि० कार्यक्रम अधि०	कानपुर	7376182746	
18	Dr Ray Kishore	Supdt	Bilhaur	9450390351	
19.	DR AK Kanaujia	Supt	Kalyanpur	9450690044	
20	DR. S.L Verma	M.S	CHG Sam	9456085896	
21	Dr K.P. Madhaliya	MS	MKCH RTC	9415484861	
22	Dr. RK Yadav	DLO	Kanpur	9935188837	
23	Dr Rajeev Yadav	DIO	Kanpur	9839790273	
24	S.K. Sharma	DPRO	Kanpur	9415168928	
25	DR. S.C. Patnak.	ACMO.	Kanpur	9415041918	31/5/
26	Ayub Saifi	D.MO.	Kanpur	9839131526	

Date
Page 3

	उपस्थित अधिकारी कर्मचारी का नाम:-	पद:-	स्थान:-	मोबाईल नम्बर:-	हस्ताक्षर:-
27	Dr. Subodh Prakash	M.S	Kalyanpur	9888[illegible]331	
28	Dr. S. Pathak	M.S	Shivrajpur	9450781299	
29	Dr. K.S Mishra	M.S.	Bilhaur	9415126310	
30	Sunil Kumar Suraj	HAO	Rahaura	9919574597	
31	Dr. Jayprakash	MO	Patara	9454248787	
32	Dr. Y.K. VERMA	AEMO	Kanpur	9415731685	
33	DR Mohit Shanka	SMO	Kanpur	9628555590	
34	Dr N.K Gupta	Sr. Consultant	UHM Hospital	9415144987	
35	DR Ram Singhar	DCH (IMA)	IMA KNP	9839103353	
36	मौलाना आलम रजा	काजी शहर	कानपुर	9235703917	
37.	S.M. Adeel Abbas	SRC- Unicef	Kanpur	9935602141	
38	Faizan Ali	DMC unicef	Kanpur	9412294640	
39	Dr Hasan Fahim	DOC Unicef	Kanpur	–	
40	Ankit Sharma	C.O.	Kanpur		